सुखदेव

बनाम

पंजाब राज्य

21 जून, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और पी. पी. नौलेकर, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860; एस. एस. 302 , 324 & 326 :

हमला और हत्या-अभियुक्त ने मृतक और अन्य पर चाकू से हमला किया जिससे वे घायल हो गए-कथित रूप से अभियुक्त की पत्नी भी घायल हो गई-मृतक ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया-एफ. आई. आर.-आरोप पत्र-निचली अदालत ने अभियुक्त को धारा 302, 324 और 326 के तहत दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया और तदनुसार उसे सजा सुनाई। उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई-अपील पर अभिनिर्धारित, अभियुक्त की पत्नी डी. डब्ल्यू. यह नहीं बता सकी कि उसने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना क्यों नहीं दी और यदि वह घटना में घायल हुई थी तो चिकित्सकीय रूप से खुद की जांच क्यों नहीं करवाई-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दोनों अधीनस्थ अदालतों ने घायल गवाहों के साक्ष्य को विश्वसनीय और अभियुक्त की पत्नी डी. डब्ल्यू. 1 की साक्ष्य को अत्यधिक असंभव पाया-इसलिए, अभियुक्त को अधीनस्थ अदालत द्वारा धारा 302 भा.द.सं. के तहत सही तरीके से दोषी ठहराया गया था। साक्ष्य-

घायल चश्मदीद गवाह की साक्ष्य- धारा 300 भा.द.सं. का अपवाद 4 - प्रयोज्यता-अभिनिर्धारित किया गयाः लागू नहीं होता।

शब्द और वाक्यांश - 'अचानक लड़ाई 'और' अनुचित लाभ '-इसका अर्थ धारा 300 भा.द.सं. के अपवाद 4 के संदर्भ में है।

पीडब्लू 3, दिनांक 03 नवम्बर 1994 लगभग 09.30 ए.एम. पर गांव का अध्यक्ष पेट्रोल पंप पर कार्यरत था। उसने एक शोर सुना कि एक ग्रामीण के भूसे के ढेर में आग लग गई है। इतना सुनकर पी.ड.3 अपने भाई, मृतक व अभियुक्त के साथ आग बुझाने में मदद करने मौके पर पहुंचा। आरोपी ने मृतक के खिलाफ आरोप लगाया कि उसने भूसे के ढेर में आग लगा दी थी, जब मृतक ने आरोप से इनकार किया तो उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद आरोपी अपने घर के अंदर भागा और एक चाकू लाया और उससे मृतक और पीडब्लू 4 के शरीर पर वार किया और उन्हें घायल कर दिया। कथित तौर पर, जब आरोपी की पत्नी ने उन्हें अलग करने की कोशिश की, तो वह भी घायल हो गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनके वहां पहुंचने से कुछ ही समय पहले मृतक ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में पुलिस द्वारा दर्ज पी. डब्ल्यू. 3 के बयान के आधार पर, पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खुलासा बयान पर, एक खून से सना चाकू, कथित हत्या का हथियार बरामद किया गया। उस पर अन्वेषण के पूरा

होने पर, आरोपी पर मृतक की हत्या करने के लिए भा.द.सं. की धारा 307 के तहत और पी. डब्ल्यू. 3 और पी. डब्ल्यू. 4 को चोट पहुँचाने के लिए भा.द.सं. की धारा 324 और 326 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया। विचारण न्यायालय ने आरोपी को अपराधों का दोषी पाया, दोषी ठहराया और उसे धारा 302,324 और 326 के तहत सजा सुनाई। अभियुक्त द्वारा दायर अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपील है।

अभियुक्त-अपीलार्थी ने तर्क दिया कि विचारण अदालत और उच्च न्यायालय को PWs.3 व 4 के हितबद्घ संस्करण पर भरोसा नहीं रखना चाहिए था। चूंकि DW1 का साक्ष्य स्पष्ट और ठोस था और उसके द्वारा अभियोजन पक्ष के कथनों की स्वीकार्यता को पूर्णतः खारिज कर दिया गया था। यह कि अभियोजन पक्ष के संस्करण को स्वीकार करते हुए भी, चूंकि चोट अचानक झगडे के क्रम में कारित हो गई इसलिए, धारा 302 की कोई प्रयोज्यता नहीं है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा, अभिनिर्धारित

1. विचारण अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा आहत चश्मदीद गवाह की साक्ष्य को विश्वसनीय पाया गया। एक घायल गवाह की गवाही महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखती है। हालाँकि वे विस्तारपूर्वक परीक्षित किए गए थे परन्तु उनकी गवाही में कोई विरोधाभास नहीं पाया गया। डी. डब्ल्यू.-1 का साक्ष्य अत्यधिक असंभव है जैसा कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा

सही माना गया था। यदि वह घटना में घायल हुई थी, तो उसने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना क्यों नहीं दी और चिकित्सा जांच दो दिन पश्चात क्यों कराई गई, का उसके द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। डी. डब्ल्यू.-1, जो अभियुक्त की पत्नी थी, के इस आचरण पर निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने उचित रूप से ध्यान दिया है। [पैरा 7] [1127-एफ-जी]

2.1 . आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने के लिए, स्थापित करना होगा कि यह कार्य बिना पूर्व-चिंतन के किया गया था, तथा अपराधी द्वारा अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में अचानक gqbZ लड़ाई में अपराधी ने अनुचित लाभ उठाए बिना और क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया था। [पैरा 9] [1128-ए]

2.2 . एक मामले को अपवाद 4 के भीतर लाने के लिए इसमें उल्लिखित सभी सामग्री आवश्यक है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 300 भा.द.सं. के अपवाद 4 में 'लड़ाई' भा.द.सं. में परिभाषित नहीं है। लड़ाई करने में दो लोग होते हैं। जुनून के लिए आवश्यक है कि जुनून को ठंडा करने के लिए कोई समय नहीं होना चाहिए और इस मामले में, पार्टियों ने शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को क्रोधित कर लिया है। लड़ाई दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक लड़ाई है, चाहे वह हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के। किसी भी सामान्य नियम का दर्शाया जाना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा किए माना जाएगा। यह

एक तथ्य का प्रश्न है और झगड़ा अचानक हुआ है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता है। अपवाद 4 के अनुप्रयोग के लिए, पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वधारणा नहीं थी। यह भी दर्शित होना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त 'अनुचित लाभ' अभिव्यक्ति का अर्थ है ' अन्यायपूर्ण लाभ'। [पैरा 10] [1128-जी-एच; 1129-ए-बी]

श्रीधर भुयां बनाम उड़ीसा राज्य, जे. टी. (2004) 6 एस. सी. 299; प्रकाश चंद बनाम एच. पी. राज्य, जे. टी. (2004) 6 एस. सी. सच्चे लाल तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जे. टी. (2004) 8 एससी 534; संध्या जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य, [2006] 4 एस. सी. सी. 653 और लछमन सिंह बनाम। हरियाणा राज्य, [2006] 10 एस. सी. सी. 524 पर भरोसा किया।

2.3 . जब कानूनी सिद्न्तों के परिप्रेक्ष्य में पृष्ठभूमि के तथ्यों पर विचार किया जाता है तो, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि धारा 300 के अपवाद 4 का कोई अनुप्रयोग नहीं है। अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत सही तरीके से दोषी ठहराया गया है। [पैरा 12] [1129-सी]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 101/2002

आपराधिक अपील संख्या 108-डी. बी. 1996 में उच्च न्यायालय के दिनांकित 09.01.2001 को पारित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से शारदा देवी।

उत्तरदाता की ओर से कुलदीप सिंह, आर. के. पांडे, संजय कत्याल और टी. पी. मिश्रा

निर्णय डा. अरिजीत पासायात द्वारा किया गया।

1. जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के निर्णय को चुनोती दी गइर् जिसके द्वारा विद्वान सत्र न्यायाधीश पटियाला द्वारा दी गई दोषसिद्घी को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज किया। अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 302,326 व 324 के तहत दोषी पाया गया। (संक्षेप में भा.द.सं.) और आजीवन कारावास की सजा और क्रमानुसार उपरोक्त अपराधों के लिए क्रमशः दो वर्ष और एक वर्ष की सजा दी गई।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैंः

गांव सरला कलां के अध्यक्ष (पीडब्लू. 3) पमरजीत सिंह घनौर में एक पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे। 3 नवंबर, 1994 को रात करीब 9:30 बजे उन्होंने एक शोर सुना कि सरला कलां गांव के अमर नाथ की भूसी के ढेर में आग लग गई है। यह सुनकर, वह, उसके भाई किशन सिंह (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित), सतपाल (पीडब्लू 4) और आरोपी सुखदेव भी आग बुझाने में मदद करने के लिए मौके पर पहुंचे। वहाँ पहुँचने के तुरंत बाद, सुखदेव ने आरोप लगाया कि इस ढेर को मृतक किशन सिंह ने

आग लगा दी थी। उसने उस आरोप से इनकार किया जिस पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद सुखदेव पास में स्थित अपने घर के अंदर भागा और एक चाकू लेकर आया और उससे किशन सिंह को मारा। सतपाल (पी. डब्ल्यू. 4) किशन सिंह की मदद करने के लिए आगे बढ़े लेकिन सुखदेव ने उन्हें भी चाकू मार दिया। सावित्री देवी (डी. डब्ल्यू. 1) आरोपी सुखदेव की पत्नी, फिर पक्षकारों को अलग करने के लिए आगे आई। हालांकि, सुखदेव ने सतपाल की ओर एक और प्रहार किया, लेकिन उसके बजाय सावित्री देवी को मारा। पमरजीत सिंह ने खून से लथपथ किशन सिंह को उठाने की कोशिश की, लेकिन सुखदेव ने उसकी पीठ पर भी चाकू मारा और फिर मौके से भाग गया। घायलों को पटियाला के राजेंद्र अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनके वहां पहुंचने से कुछ ही समय पहले किशन सिंह ने दम तोड़ दिया। सतपाल और परमजीत सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल से 4 नवंबर, 1994 को लगभग 1.20 ए.एम. पर पुलिस स्टेशन को एक संदेश भेजा गया था, जिस पर एस. आई. गोबिंदर सिंह (पी. डब्ल्यू. 6) अस्पताल पहुंचे और पूछताछ करने पर डॉक्टर ने बताया कि सतपाल बयान देने के योग्य नहीं है, जबकि पमरजीत सिंह बयान देने योग्य है। परमजीत सिंह का बयान, (Ex.P.K) तदनुसार सुबह लगभग 5 बजे दर्ज किया गया था और इसके आधार पर औपचारिक एफ. आई. आर. सुबह 6:30 बजे पुलिस स्टेशन, घनौर में दर्ज किया गया था। विशेष रिपोर्ट शाम 5:45 बजे राजापुरा के इलाका मजिस्ट्रेट को दी गई थी। उसी दिन पुलिस अधिकारी ने भी घटना स्थल का दौरा

किया और आवश्यक पूछताछ की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉक्टर को पुलिस के कागजात मिलने के 15 मिनिट बाद 4 नवंबर, 1994 को 12.15 पी.एम. पर पोस्टमार्टम किया गया था। 5 नवंबर, 1994 को एस. आई. गोबिंदर सिंह भी यह ज्ञात होने पर कि अभियुक्त की पत्नी सावित्री देवी भी भर्ती है परन्तु बयान देने के अयोग्य है। अंततः उसका बयान दिनांक 07 नवम्बर 1994 को दर्ज किया गया।

इसी तरह 8 नवंबर को सतपाल का बयान दर्ज किया गया था। जबकि वह बयान देने हेतु उपयुक्त घोषित किया गया। आरोपी सुखदेव को 12 नवंबर, 1994 को गिरफ्तार किया गया था और उसके खुलासा बयान पर, एक खून से सना चाकू, हत्या का कथित हथियार बरामद किया गया था। अन्वेषण के पूरा होने पर आरोपी पर किशन सिंह की हत्या करने के लिए आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत और सतपाल को गंभीर चोट पहुँचाने के लिए आई. पी. सी. की धारा 326 के तहत पमरजीत सिंह और सावित्री देवी को साधारण चोट पहुँचाने के लिए भा.द.सं. की धारा 324 के तहत आरोप लगाया गया और जैसा कि उसने निर्दोष होने का दावा किया था, उस पर मुकदमा चलाया गया।

3. चश्मदीद गवाह परमजीत सिंह (पीडब्लू-3) और सतपाल (पीडब्लू-4) की साक्ष्य पर भरोसा करते हुए निचली अदालत ने आरोपी को अपराधों का दोषी पाया, दोषिसद्घी की और उसे पूर्व उल्लिखित सजा सुनाई।

4. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को खारिज कर दिया गया जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

5. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिए कि विचारण अदालत और उच्च न्यायालय को पीडब्ल्यू 3 व4 की हितबद्घ साक्ष्य पर निर्भरता नहीं रखनी चाहिए थी। शारदा देवी (डी. डब्ल्यू.-1) का साक्ष्य स्पष्ट और ठोस था और उसने अभियोजन पक्ष के बयान की स्वीकार्यता को पूरी तरह से खारिज किया था। अभियोजन पक्ष के बयान को स्वीकार करते हुए भी, चोटे चूंकि अचानक झगड़े के क्रम में आई थी और इसलिए, धारा 302 का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

6. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान वकील-दूसरी ओर राज्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से समर्थित।

7. अभियोजन पक्ष के संस्करण की स्वीकार्यता पर आते हुए ;g देखना है fd विचारण अदालत और उच्च न्यायालय ने घायल चश्मदीद गवाहों की साक्ष्य को विश्वसनीय पाया। एक घायल गवाह की गवाही महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखती है हालाँकि वे विस्तारपूर्वक परीक्षित किए गए थे परन्तु उनकी गवाही में कोई विरोधाभास नहीं पाया गया। डी.ड.1 की साक्ष्य अत्यधिक असंभव है।

जैसा कि विचारण अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा उचित निर्णय दिया गया था। यदि वह घटना में घायल हुई थी, तो उसने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना क्यों कराई गई, का उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं

दिया गया है। डी. डब्ल्यू. 1, जो अभियुक्त की पत्नी थी, के इस आचरण पर निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने उचित रूप से ध्यान दिया है इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान वकील की याचिका में कोई सार नहीं है कि अभियोजन पक्ष के संस्करण को स्वीकार नहीं किया जावे।

8. वैकल्पिक याचिका हेतु सावधानीपूर्वक जाँच की आवश्यकता होती है।

9. आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने के लिए, यह स्थापित किया जाना आवश्यक है कि यह कार्य बिना पूर्व-चिंतन के किया गया था तथा अपराधी द्वारा अचानक झगड़े पर जुनून में अचानक लड़ाई में अनुचित लाभ उठाए बिना और क्रूर या असामान्य रूप से कार्य नहीं किया था।

10. आई. पी. सी. की धारा 300 के चौथे अपवाद में अचानक लडाई में किए गए कार्य शामिल हैं। उक्त अपवाद अभियोजन के मामले में पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता है, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वधारणा का अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का पूरी तरह से अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल जुनून है जो पुरुषों के शांत कारणों को प्रभावित करती है और उन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करते। अपवाद 4 में उत्तेजना है जैसा कि अपवाद 1 में है; लेकिन कारित की गई चोट उस उत्तेजना का

प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें भले ही कोई झटका लगा हो, या विवाद की उत्पत्ति में या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों पक्षों का बाद का आचरण उन्हें दोषी होने के अपराध के संबंध में स्थान रखता है। एक 'अचानक लड़ाई' का अर्थ है आपसी उकसावे और दोनों पक्षों पर मार-पीट। तब की गई हत्या एकतरफा उकसावे से हुई हो ज्ञात नहीं हो सकता, न ही ऐसे मामलों में पूरा दोष एक पक्ष पर डाला जा सकता है, यदि ऐसा है, तो अधिक उचित रूप से लागू होने वाला अपवाद अपवाद 1 होगा। यहां लड़ने के लिए कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं है। अचानक एक लड़ाई होती है, जिसके लिए दोनों पक्षों को कमोबेश दोषी ठहराया जा सकता है। यह हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने इसे अपने स्वयं के आचरण से नहीं बढ़ाया होता तो यह उतना गंभीर मोड़ नहीं लेता जितना उसने लिया था। फिर आपसी उकसावा और उत्तेजना होती है, और प्रत्येक लडाई लडने वाले के लिए दोष के हिस्से को विभाजित करना मुश्किल है। अपवाद 4 तब लागू होता है जब मृत्यु (ए) पूर्व-चिंतन के बिना, (बी) अचानक लड़ाई में; (सी) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य रूप से कार्य किए बिना हुई हो और (घ) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ हुई हो। एक मामले को अपवाद 4 के भीतर लाने के लिए उसमें उल्लिखित सभी अवयवों को पाया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली 'लड़ाई' आई. पी. सी. में परिभाषित नहीं है। लड़ाई

करने में दो लोग लगते हैं। जुनून के लिए आवश्यक है कि जुनून को ठंडा करने के लिए कोई समय नहीं होना चाहिए और इस मामले में, पक्षों ने शुरूआत में मौखिक वार्तालाप के कारण कार्य किया है। एक लड़ाई दो और अधिक के बीच हथियार या बिना हथियार की लड़ाई है। अचानक झगड़ा क्या माना जाएगा, इस संबंध में कोई सामान्य नियम तय नहीं किया जा सकता है।

यह एक तथ्य का सवाल है और क्या झगड़ा अचानक होता है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता है। अपवाद 4 के अनुप्रयोग के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वधारणा नहीं थी। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त 'अनुचित लाभ' अभिव्यक्ति का अर्थ है 'अनुचित लाभ'।

11. श्रीधर भुयां बनाम उड़ीसा राज्य, जे. टी. (2004) 6 एस. सी. 299; प्रकाश चंद बनाम एच. पी. राज्य, जे. टी. (2004) 6 एस. सी. सच्चे लाल तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जे. टी. (2004) 8 एससी 534; संध्या जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य, [2006] 4 एस. सी. सी. 653 और लछमन सिंह बनाम। हरियाणा राज्य, [2006] 10 एस. सी. सी. 524 में उपरोक्त पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।

12. अपील बिना योग्यता के है और खारिज की जाती है। अभियुक्त शेष सजा काटने के लिए हिरासत में आत्मसमर्पण करें।

अपील खारीज की जाती है।

एसकेएस.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी डा. ऋचा चायल, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।